राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.16(3) चि.स्वा./ग्रुप–2/2017 जयपुर, दिनांक : 06.11.2017

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः– सेवारत चिकित्सकों द्वारा की जा रही हडताल के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

विषयान्तर्गत दिनांक 06.11.2017 से सेवारत चिकित्सकों द्वारा की जा रही हडताल के संबंध में निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें:–

1. प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे अपने अधीन जिला अस्पतालों, सैटेलाईट अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सकों की उपस्थिति की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टरों/उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारों के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें।

2. उपस्थिति रजिस्टर की जांच करते समय अनुपस्थित चिकित्सकों के कॉलम में "A" मार्क कर रजिस्टर की छाया प्रति अपने रिकार्ड में संधारित करें। इसकी आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा उक्त रिकार्ड आपसे प्राप्त किया जायेगा। साथ ही जिन चिकित्सा संस्थानों में बायो मेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज की जाती है, उन चिकित्सालयों से भी रिकार्ड प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

3. अपने जिले के चिकित्सकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति की सूचना प्रतिदिन राज्य नियंत्रण कक्ष को निम्न प्रपत्र में भिजवाने का श्रम करें:–

दिनांक	जिले में कुल कार्यरत चिकित्सकों की संख्या	उपस्थित चिकित्सकों की संख्या	अनुपस्थित चिकित्सकों की संख्या	विशेष विवरण

उक्त सूचना निदेशक, जन स्वास्थ्य की ई–मेल directorph-rj@nic.in पर भी भिजवाई जा सकती है।

4. आप पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार वॉक–इन–इन्टरव्यू के द्वारा संविदा पर रूपए 56000/–प्रति माह पर चिकित्सकों की भर्ती कर आवश्यकतानुसार उनको जिले में पदस्थापित कर सूचित करे। चिकित्सकों का पूर्व में वॉक–इन–इन्टरव्यू के द्वारा संविदा पर मासिक वेतन रूपए 30000/– निर्धारित था, जिसको राज्य सरकार द्वारा बढाकर रूपए 56000/– प्रति माह करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान

6. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके ई–मेल पर प्राप्त होने वाली उक्त सूचनाओं को प्रतिदिन राज्य सरकार को उपलब्ध करावें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.
9. समस्त संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
10. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
11. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई–मेल करावें एवं विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
12. निजी /रक्षित पत्रावली

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव